संख्या-04/2017/2982/33-2-2017-256जी/17

प्रेषक,

सुशील कुमार मौर्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 04 सितम्बर, 2017

विषय- मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय के आदेशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम एक सप्ताह में अनुपालन करने अथवा आदेश के विरूद्ध विशेष अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर ली जाय तथा समय से मा0 न्यायालय को अवगत भी करा दिया जाय।

2- उक्त के अतिरिक्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी प्रकरण में मा0 न्यायालयों द्वारा मुख्य सचिव के स्वयं उपस्थित होने के आदेश पारित किये जाते अथवा मा0 न्यायालय के आदेशों की अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस स्थिति को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध यथोचित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये। यदि कोई प्रकरण लम्बित हो तो तत्काल उसके विवरण सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुशील कुमार मौर्य
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।

2- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in